

॥ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर ॥

प्रैस-नोट

दिनांक:- 11.02.2019

नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले का
आरोपी सलाखों के पीछे

- थाना बयाना:-** गांव खटनावली थाना बयाना निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही राजेन्द्र उर्फ बब्बल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण के विरुद्ध प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर खेत में लेजाने व उसके साथ अश्लील हरकत करने का एक मामला दिनांक 03 फरवरी 2019 को थाना बयाना पर मु0नं0 111/19 धारा 3, 4, 5, 7 पौक्सो एक्ट व 3 एससीएसटी एक्ट में पंजीवद्ध कराया था। वृत्ताधिकारी वृत्त बयाना श्री चेताराम सेवदा आरपीएस द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. राजेन्द्र उर्फ बब्बल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खटनावली थाना बयाना** को गिरफ्तार किया है।

एटीएम हैंग कर रूपये निकालने के मामले में

दो जनों को किया गिरफ्तार

- थाना भुसावर:-** दिनांक 08.01.2019 को गांव मजाजपुर थाना भुसावर निवासी बदनसिंह पुत्र दौजीराम जाति माली द्वारा कस्वा भुसावर स्थित एसबीआई के एटीएम से रूपये निकालने चाहे तो पैसे नही निकलने पर प्रार्थी बाहर चला गया तो एटीएम के अन्दर दो लडकों द्वारा धोखाधडी पूर्वक प्रार्थी के खाते से 18 हजार रूपये निकाल लेने का एक मामला थाना भुसावर पर मु0नं0 19/19 धारा 420, 379 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कराया था। श्री मानसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के आरोपी **1. विष्णु पुत्र हरवीर जाति गुर्जर निवासी हयातपुर थाना खोह** व **2. प्रहलाद पुत्र छज्जी जाति गुर्जर निवासी अन्जारी थाना खोह** को गिरफ्तार कर आरोपी से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

3 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों से 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना उधोगनगर:-** श्री सुरेशचंद हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर नगला खंगर से वारंटी 1. मुकेश पुत्र निरपत जाति जाट निवासी नगला खंगर थाना उधोगनगर को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना मथुरागेट:-** मथुरागेट पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर ईदगाह कॉलौनी आगरा से वारंटी 1. श्रीमती सोनदेई पत्नी ज्वालाप्रसाद पुत्री नत्थीसिंह जाति जाटव निवासी ईदगाह कॉलौनी थाना शहगंज आगरा यू0पी0 व 2. पूरन पुत्र मूलचन्द जाति जाटव निवासी तूफानी मौहल्ला थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

4 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

1360 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग-अलग स्थानों से 4 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 1360 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना कोतवाली भरतपुर:-** श्री सुरेशकुमार स0उ0नि0 द्वारा पिक्चर पैलेस के पीछे से 1. महाराजसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाटव निवासी कमलपुरा थाना सेवर को 230 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 59/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना डीग:-** श्री किशनपालसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा डीग से 1. शंकर पुत्र किशनलाल, 2. तुलाराम पुत्र दौलती व 3. नीरज उर्फ टीकम पुत्र निरजंन जातियान कोली निवासियान कस्वा डीग को 1130 रूपये मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 85/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना नगर:-** श्री कुंवरसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा नगर से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक 1. महावीरप्रसाद पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी कल्याणपुर थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर को गिरफ्तार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 4 जने गिरफ्तार

1. **थाना अटलबंद:-** श्री चतुर्भुजसिंह स0उ0नि0 द्वारा हीरादास चौराहा से 1. बृजेश पुत्र रामभरोसी जाति ब्राह्मण निवासी कस्वा बयाना व 2. नरेन्द्रसिंह पुत्र बेदवीरसिंह जाति जाट निवासी जसबंतनगर थाना अटलबंद को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना चिकसाना:-** श्री रामवीरसिंह हैड कानि0 द्वारा थाने के सामने से 1. बनवारी पुत्र जगदीश जाति कोली निवासी दौलतपुर थाना चिकसाना को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।
3. **थाना मथुरागेट:-** थानाधिकारी श्री बैनीप्रसाद आरपीएस (प्रशिक्षु) द्वारा सोगरिया मौहल्ला से 1. नीलू पुत्र बुद्धीराम जाति जाटव निवासी सोगरिया मौहल्ला थाना मथुरागेट को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में किया गिरफ्तार

1. **थाना उद्योगनगर:-** श्री दिनेशकुमार हैड कानि0 द्वारा गांव अजान से 1. तेजवीरसिंह पुत्र सुरेश जाति जाट निवासी अजान थाना उद्योगनगर को गिरफ्तार किया गया है।

170 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **170** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ओवरलोड कार्यवाही में **70** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सड़कों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **20** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **80** वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।